

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग-491001

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/30
दिनांक 18.04.2026

क्र. 107 दि. 08/05/2026

आवेदक

श्रीमती साधना सिंह
जवाहर नगर, दुर्ग
बी.पी. नं. 1000666062, 1005058900,
मो नं. 9752899166

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. कार्यपालन अभियंता, नगर संभाग,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., दुर्ग।
2. सहायक अभियंता, जवाहर नगर जोन,
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि., दुर्ग।

विषय :- आवेदिका द्वारा अपने नाम से स्थापित दोनों घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1000666062 एवं 1005058900 के स्थायी विच्छेदन हेतु दिनांक 08.04.2026 को प्रस्तुत आवेदन पर विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 08.05.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उन्होंने अपने पूर्व निवास वाले मकान को जनवरी, 2026 में विक्रय कर दिया है तथा वर्तमान में उक्त परिसर में निवास नहीं करती हैं और न ही वहां विद्युत का उपयोग कर रही हैं। इसलिए उनके नाम से स्थापित दोनों घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1000666062 एवं 1005058900 के स्थायी विच्छेदन हेतु दिनांक 08.04.2026 को विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

फोरम द्वारा उक्त शिकायत को प्रकरण क्रमांक 30/दुर्ग/2026 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई की गई।

दिनांक 20/4/2026 को सुनवाई के दौरान आवेदिका अनुपस्थित रही, जबकि अनावेदकगण उपस्थित हुए।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कथन में बताया गया कि आवेदिका द्वारा व्हाइट हाउस, जवाहर नगर, दुर्ग स्थित दोनों विद्युत कनेक्शनों के मीटर हटाने एवं विद्युत आपूर्ति के स्थायी विच्छेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक 15.04.2026 को आवेदिका की उपस्थिति में दोनों विद्युत कनेक्शनों का स्थायी विच्छेदन कर मीटर हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर दी गई।

अनावेदक ने यह भी अवगत कराया कि उक्त कार्रवाई से आवेदिका संतुष्ट हैं तथा उनकी शिकायत का निराकरण हो चुका है।

2. फोरम का निष्कर्ष

फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं अनावेदक के कथनों का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा स्थायी विच्छेदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने के उपरांत विभाग ने दिनांक 15.04.2026 को दोनों विद्युत कनेक्शनों बी.पी. क्रमांक 1000666062 एवं 1005058900 का स्थायी विच्छेदन कर दिया है।

चूँकि शिकायत का मूल विषय विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई न किया जाना था तथा सुनवाई के पूर्व ही विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर दी गई है, साथ ही आवेदिका द्वारा भी उक्त कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया है, अतः फोरम के समक्ष कोई विवाद शेष नहीं रह जाता।

3. आदेश

1. आवेदिका के दोनों विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1000666062 एवं 1005058900 का स्थायी विच्छेदन दिनांक 15.04.2026 को किए जाने एवं शिकायत का निराकरण हो जाने के कारण प्रकरण निराकृत किया जाता है।

2. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में स्थायी विच्छेदन हेतु प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।

3. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

5. यदि शिकायतकर्ता / आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(भमता कश्यप)

सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग